



सेवोत्तम अनुवर्ती



कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-९, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ।



पत्रांक 4365

/सं०प्र० वृन्दावन/

दिनांक 17-6-2013

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-105,(C) क्षेत्रफल 3027.50 वर्ग मीटर, नीलामी द्वारा मेसर्स एस०ए०एस० ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में प्रदेशन पत्र संख्या-1216/सं०प्र०-वृन्दावन दिनांक 04.02.2013 द्वारा आवंटित है। परिषद व मेसर्स एस०ए०एस० ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 04.02.2013 को नियमानुसार किराया किश्त कय का अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या-11/COM-105, के विरुद्ध सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान करने तथा भूखण्ड पर निर्मित प्लेट्स के इच्छुक क्रेताओं को ऋणदायी वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिये जाने हेतु परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के अनुसार निर्गत किया जा रहा है कि उक्त भूखण्ड पर प्रथम प्रभार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं उक्त भूखण्ड पर निर्मित प्लेट्स के इच्छुक क्रेताओं को ऋणदायी वित्तीय संस्था द्वारा अवमुक्त ऋण के सापेक्ष द्वितीय प्रभार निहित माना जायेगा। साथ ही परिषद से उक्त भूखण्ड की फ्री-होल्ड डीड निष्पादित होने के उपरान्त ही निर्मित प्लेट्स का भौतिक कब्जा इच्छुक क्रेताओं को दिया जा सकेगा।

सेवा में,

मेसर्स एस०ए०एस० ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड,
द्वारा सुश्री संगीता कालरा,
14, स्टेशन रोड, लखनऊ।

(बी० के० सिंह)

सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

*Received the
original
Shaf*

*C. S. HOBBAR
SBI, Kailashbagh
Lucknow.*

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस,

लखनऊ।

पत्र सं०: अ-25/डीडी(लखनऊ) 13

दिनांक: मार्च 19, 2013

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी एवं
वास्तुविद नियोजक,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर,
लखनऊ।

विषय:-

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/कॉम-105 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड जिला लखनऊ पर मेसर्स एम०ए०एस० ग्लोवल प्रा० लि० द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक/ आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र 2291/वा०नि०-4/नि०प्रा०-2012/43, दिनांक-19.01.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन के मानचित्र का एन०बी०सी०-2005 एव भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी०जी०आई० तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

- 1- भवन का कुल भूखण्ड एरिया-3027.50 वर्गमीटर है।
- 2- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया 753.75 वर्गमीटर है।
- 3- प्रथम तल से 9वें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया अलग-अलग 654.33 वर्गमीटर है तथा 10वें तल का कवर्ड एरिया 308.64 वर्गमीटर है।
- 4- बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया 1806.60 वर्गमीटर है।
- 5- भवन में द्वितीय बेसमेन्ट नहीं है।
- 6- भवन की ऊंचाई 33.00 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजाई श्रेणी:-

प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की मिक्स आकूपेन्शी श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-

भूखण्ड के समाने मानचित्र में 45 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई:- भवन परिसर में दो गेट प्रस्तावित हैं जिनकी चौड़ाई क्रमशः 6.00 मीटर व 6.7 मीटर है। जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत् है-

भवन के अग्रभाग- 14.09 मीटर, पृष्ठ भाग- 15.01 मीटर, पार्श्व भाग प्रथम- 1.00 मीटर, पार्श्व भाग द्वितीय 11.50 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:-

प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थायें:-

एन0बी0सी0-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक:- भूमिगत टैंक 50,000लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

2-पम्प:- अण्डरग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल.पी.एम. क्षमता का, विद्युत चालित पम्प डीजल चालित पम्प 2850एल0पी0एम0 क्षमता का तथा जाकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

3- होजरील:-

प्रस्तावित भवन में होजरील, लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

4- वेट राइजर:- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप है।

5- यार्ड हाइड्रेन्ट :-

प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

6- हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-

मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

7- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम-भवन में आटोमैटिक डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

8- स्वचालित स्पिन्कलर सिस्टम- भवन के बेसमेन्ट में व भूतल पर आटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

9- टेरिस टैंक :-

प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना प्राविधानित है।

10- टेरिस पम्प:-

प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :-

प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190-2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-

ए- फायर चेक डोर , स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 2 एच है।

बी- सिस्टम की मैकअप एअर हेतु व्यवस्था की गयी है।

सी- स्मोक रिजरवायर स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है।

13- एक्जिट साईनेज :-

सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्राविधानित किये जाने होंगे।


14- पी0ए0 सिस्टम- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स एस0ए0एस0 ग्लोबल प्रा0लि0 में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/



इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि




(आर०के०सिंह)

उप निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ।

प्रतिलिपि-

- 1- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ अग्निशमन अधिकारी पी०जी०आई० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मैसर्स एस०ए०एस०ग्लोबल प्रा०लि०, द्वारा निदेशक संगीता कालरा, 14 स्टेशन रोड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



AAI/NOC/2013/259/1904

BY Regd Post

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date : 03-07-2013

05

M/s SAS Global Pvt. Ltd
14- Station Road, Lower Ground Floor,
Opp. SAS Hero,
Lucknow-226004

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,
Please refer to APD letter no AAI/LK/OP-18/18-2013/7080-81 dated 23/27-05-2013 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the proposed Construction of Group Housing by M/s SAS Global Pvt. Ltd herein after referred to as the applicant(s) at location Plot No 11/COM-105, Vrindavan Yojna, Lucknow U.P (Co-ordinates - 1) 26 45 45 N 80 57 39 E) 2) 26 45 45 N 80 57 41 E) 3) 26 45 47 N 80 57 41 E) 4) 26 45 47 N 80 57 39 E) for a height of 35.40 Mts (in figure) Thirty Five Decimal Four Zero Meters above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 120.00 Mts (In figure) One Hundred Twenty Decimal Zero Meters (site elevation) plus(+) 35.40 Mts. (In figure) Thirty Five Decimal Four Zero Meters (height of structure) = 155.40 Mts (In figure) One Hundred Fifty Five Decimal Four Zero Meters. above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 120.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. if the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India(National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures(eg. Wireless, TV antennas, mummies, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

SITE IS EXAMINE w.r.t SO 84 (E) CIVIL AERODROMES only.

(A.K.KALRA) 31.7
Dy. GENERAL MANAGER (ATM-Opn)/NR
For REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR(NR)

- Copy to:- 1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D
2. GM, Carto Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.
3. The Airport Director, Airports Authority of India, Chaudhary Charan Singh Airport, Amousi, Lucknow-226009

Dy. GENERAL MANAGER (ATM-NOC)/NR